

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१४

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १४-ग के पश्चात्, अध्याय-३ में, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

धारा १४-घ का अन्तः
स्थापन.

“१४-घ. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, आदेश द्वारा, किसी नियोजक या स्थापना द्वारा रजिस्ट्रों को संधारित करने और प्रतिवेदन तथा विवरणियां प्रस्तुत करने के लिये समेकित प्ररूप प्रकल्पित (डिवाइस) कर सकेगी या अधिसूचित कर सकेगी :

रजिस्टर तथा
अभिलेख संधारित
करने के लिये समेकित
प्ररूप तथा नियोजकों
द्वारा प्रतिवेदनों तथा
विवरणियों का प्रस्तुत
किया जाना.

परन्तु सरकार रजिस्टर और अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत या डिजीटल फार्मेट में संधारित करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगी.”

३. मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

धारा २८ का स्थापन.

“२८ (१) इस अधिनियम में की कोई भी बात, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) के अधीन सूक्ष्म उद्योग के रूप में वर्गीकृत किसी स्थापना या औद्योगिक सत्ता को लागू नहीं होगी.

छूट.

(२) उपधारा (१) के उपबंधों के होते हुए भी, राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि कर्मकारों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी सूक्ष्म उद्योग या सूक्ष्म उद्योगों के वर्ग को प्रदान की गई कोई छूट, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस ले सकेगी.

४. (१) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ८ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) सभी ऐसी स्थापनाओं को लागू होता है जिसमें ९ से अधिक कर्मकारों को नियोजित किया जाता है। बहुत सी श्रम विधियों के अधीन उपबंधित उपबंधों के अनुपालन में सूक्ष्म उद्योग तथा स्थापनाएं कठिनाई का सामना करती हैं और इसलिए उन्हें ऐसे उपबंधों के अपालन के लिये अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है। अतएव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) के अधीन यथा वर्गीकृत सूक्ष्म उद्योगों को इस अधिनियम के लागू होने से छूट के लिये विशेष उपबंध की आवश्यकता थी, और इसलिए उन्हें इस अधिनियम की परिधि से बाहर रखने के लिये धारा २८(१) का स्थापन प्रस्तावित है और यदि भविष्य में ऐसी स्थिति उद्भूत होती है तो ऐसे सूक्ष्म उद्योगों के कर्मकारों के हित में ऐसी छूट को वापस लिए जाने के उपबंध भी किए गए हैं।

२. इसी प्रकार सभी ऐसी स्थापनाओं को, जिन्हें इस प्रयोजन के लिये विभिन्न श्रम विधियों के अधीन उपस्थिति, भुगतान, अतिकाल आदि की बहुत सी पंजियां रखनी होती हैं, उन्हें प्रतिवर्ष समुचित प्राधिकारियों के समक्ष बहुत सी विवरणियां भी फाइल करनी होती हैं। ऐसे उपबंधों से प्रक्रियात्मक जटिलताएं होती हैं तथा एक ही कार्य को दो बार करना पड़ता है और स्थापनाओं को नियामक प्राधिकरणों से शोषण का खतरा सदैव बना रहता है।

३. ऐसी प्रक्रियात्मक जटिलताओं तथा कार्य के अनावश्यक दोहराव को कम करने की दृष्टि से, और उसके द्वारा नियोजक को नियामक प्राधिकरणों के शोषण से बचाने के लिये धारा १४-घ का अन्तःस्थापन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः नियोजकों को एकीकृत पंजियां तथा अभिलेख रखने की आवश्यकता है, वह भी इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में, जिसमें कि कम जनशक्ति की आवश्यकता होती है तथा जिसमें विभिन्न जानकारीयों को एक ही स्थान पर अभिलेखों के एक या दो रूपों में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ८ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान सभा का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए।

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ५ दिसम्बर, २०१४

अंतरसिंह आर्य

भारसाधक सदस्य।

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित।”

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड १ (२) द्वारा अधिनियम को प्रभावशील किये जाने की तिथि तथा खण्ड २ द्वारा रजिस्ट्रारों को संधारित करने और प्रतिवेदन तथा विवरणियां प्रस्तुत करने के लिये समेकित प्रारूप विहित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को विधायिनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जो सामान्य स्वरूप की होगी।

अध्यादेश के संबंध में विवरण

१. सूक्ष्म उद्योगों को इस अधिनियम के लागू होने से त्वरित छूट देने तथा अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रियात्मक जटिलताओं तथा कार्य के अनावश्यक दोहराव को कम करने की दृष्टि से यह अध्यादेश त्वरित प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक था।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ८ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान सभा का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए।

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) से उद्धरण

* * * * *

धारा १४-ग. मण्डल की शक्तियों का प्रत्यायोजन.—मण्डल इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों में से कोई शक्ति, विशेष संकल्प द्वारा, ऐसी शर्तों के, जो कि संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाएं, अध्वधीन रहते हुए या कल्याण आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

* * * * *

धारा २८ छूट.—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी स्थापन को या स्थापना के किसी वर्ग को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबंधों से छूट ऐसी शर्तों के अधीन दे सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये.

* * * * *

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.